

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-210/2024

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० प्रियांशु भारती, सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर-BHS), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में दिनांक- 01.11.2024 से 29.04.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का द्वितीय संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/विविध- 01-210/2024—693/17 पटना, दिनांक :-17/06/2026

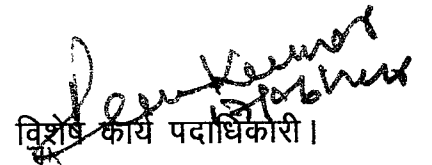
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० प्रियांशु भारती, सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर-BHS), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।